

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 622/VII-A-1/2021/158ख/04टीसी
देहरादून, दिनांक: 15 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 23ग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021

- | | |
|---------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम
और
प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| नियम 15
का संशोधन | 2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- |

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

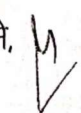
परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/ संचालित खनिज भण्डारण अनुज्ञाधारकों के पास आसन्न पूर्व तिथि को भण्डारित आर०बी०एम० की सम्पूर्ण निकासी (विक्रय) अधिकतम 06 माह के उपरान्त इन्हें इस नियमावली के तहत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञप्ति पुनः प्राप्त करनी होगी, किन्तु इसमें दूरी के मानक पूर्व की नियमावली के अनुसार नवीनीकरण तक रखे जा सकते हैं।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/ संचालित खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अनुसार आर०बी०एम० एवं बोल्डर का क्रय/ विक्रय किया जा सकेगा।

आज्ञा से, 

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव